न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 37/2020

मुकेश वैष्णव पुत्र महावीर दास वैष्णव सुभाष कॉलानी, पुरानी कोर्ट के सामने वार्ड नम्बर–4 टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टेर टोंक

——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 9–11–2020**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला कलेक्टेर टोंक को आवेदन पत्र प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी

कार्यालय जिला कलेक्टर महोदय के पत्र क्रमांक एफ (2–3)() राज0/आब. /न.पा./ 02/ 406 दिनांक 23.03.2003 की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपी से अवगत कराने की कृपा करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला कलेक्टेर टोंक से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला कलेक्टेर टोंक ने उनके पत्र क्रमांक 5124 दिनाक 6–11–2020 से जवाब प्रेषित किया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना पत्र क्रमांक 3865 दिनांक 21.9.2020 से भिजवाई जा चुकी है। न्यायालय हाजा में प्रस्तुत जवाब की प्रति भिजवाई गई है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 17:36:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner